दिनांक: 06.03.2019

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यलय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines

Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat

मिसिल सं-. PORB/LST-295

प्रेषित :

Shri Valjibhai Laxmanbhai Odedara Village-Rakka, At Post-Khambaliya Taluka-Lalpur, Dist.- Jamnagar,

Gujarat- 361012

E-mail- aloesciencebiotech@gmail.com

विषय:

गुजरात राज्य के Porbandar जिले के Kutiyana तालुका में स्थित आपकी Dhruvala Limestone Mine, सर्वे नं-[119/P]

क्षेत्रफल-2.00 में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26/10/2018 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरन के लिए आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के संसंख्यक रजिस्टर्ड ए .डी .पत्र दिनांक 13.12.2018 द्वारा आपको सूचित किया गया था।

नियम स.	<u>पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति</u>
Rule 28(1)	The holder of the mining lease shall send a notice in Form-E when the mining operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding 90 days so as to reach at concerned offices within 120 days But in your case the aforesaid notice in prescribe Form-E is not submitted to the Regional Controller of Mine, Gandhinagar.
Rule 45(1)	The holder of a mining lease, or any person or company engaged in trading or storage or enduse or export of minerals mined in the country, shall cause himself to be registered online with the Indian Bureau of Mines as per application specified in Form-K But, in your case, it is observed that you have not applied for registration in prescribed Form-K as on date.
Rule 45(5)(b)(c)	The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller of Mine or any other authorized officer of the Indian Bureau of Mines in the following manner- (a) A monthly Return which shall be submitted before the 10 th of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form (b) An annual Return which shall be submitted before 1 st day of July each year for the preceding financial year in electronic form, along with signed print copy of the same if it is digitally signed, in the respective Form But, it is observed that, you have not submitted online Monthly Returns from April-2011 onwards and Annual Returns from 2012-13 onwards to this Regional office. Therefore, you are directed to submit online Monthly Returns for last 2 years (2016-17 to 2017-18) and online submitted Annual Returns for last 5 years (2013-14 to 2017-18). It is also directed to submit aforesaid returns in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login .

- 2. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उल्लंघन पत्र जारी होने की तिथि से 45 दिन समाप्त होने के बाद भी आपने उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस पत्र का कोही जवाब नहीं दिया है और इन नियमों का उल्लंघन यथावत जारी है |
- 3. यह आपके पुनः ध्यान में लाया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है/आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाए बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है |
- 4. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है|
- 5. कृपया नोट करे की इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा|

भवदीय.

(संजय गिरहे) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ हेत् |
- 2. उप महानिदेशक $\frac{1}{4}$ lk Wf[;dh $\frac{1}{2}$, खनन एवं खनिज $\frac{1}{4}$ lk Wf[;dh $\frac{1}{2}$ प्रभाग, भारतीय खान बुरों, इन्दिरा भवन, नागपुर-440001
- 3. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.),
- 4. सहायक भुवैज्ञानिक, भुविज्ञान एवं खनन विभाग, कलेक्टर कार्यालय भवन, भुतल, रानीबाग, पोरबंदर -360575
- 5. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो